न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 67/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गणेशराम पुत्र शिवजीराम 2 गजानन्द पुत्र शिवजीराम जातियान ब्राह्मण निवासीगण धनापा तहसील मेडता जिला नागौर		1 रामलाल पुत्र शिवदान जाति ब्राह्मण निवासी धनापा तहसील मेडता 2 घनश्याम पुत्र शिवदान जाति ब्राह्मण निवासी धनापा। 3 ग्राम पंचायत पून्दलू वर्तमान पंचायत टूंकलिया पंचायत समिति मेडता तहसील मेडता।

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से

2 श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 2 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 24.12.2024

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पून्दलू द्वारा विक्रय विलेख (पट्टा) नम्बर 136/1986–87 दिनांक 10.12.1986, से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.10.15 यह निगरानी प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 04.11.15 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से को श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 3 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 136 व 137 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.15 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता के प्रकरण संख्या 55/15 रामलाल बनाम गणेश के दावे की फोटोप्रति व प्रकरण संख्या 41/15 रामलाल बनाम गणेश के दावे की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–वादग्रस्त जायगा प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों के स्वामित्व की आज तक रहती आई है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, 02 व उनके भाई सत्यनारायण तथा इनके पूर्वजों का कभी कब्जा व स्वामित्व नहीं रहा। इसलिये तत्कालीन ग्राम पंचायत पून्दलू व उसके सरपंच को प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य के हक में विक्रय विलेख जारी करने अथवा हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत पून्दलू व उसके सरपंच ने पट्टा जैर निगरानी बिना अधिकार क्षेत्र के बनाया है जो एब्निसीयू वॉयड है।

2(2)–अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व उसके भाई सत्यनारायण ने नियम 256 के अनुसार ग्राम पंचायत पून्दलू के समक्ष पट्टा बनाने के लिये विधि अनुसार कोई आवेदन मय नक्शा व नाप चोप बताते हुये पेश नहीं किया और न ही आवेदन का शुल्क जमा करवाया।

2(3)–नियम 257 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उसके भाई सत्यनारायण का कोई आवेदन फार्म नम्बर XLIX के रजिस्टर में दर्ज करके कोई पत्रावली तैयार नहीं की है और न ही आवेदन में उल्लेखित भूमि का कोई नियम 257 (5) के अनुसार नक्शा तैयार करने के लिये कोई शुल्क जमा करवाया था। ग्राम पंचायत पून्दलू के सचिव ने विक्रय विलेख में उल्लेखित जायगा का कोई नक्शा तैयार नहीं किया और न ही ऐसे किसी नक्शे पर प्रार्थी व नक्शा तैयार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर है। इस प्रकरण में नियम 257 की कोई पालना नहीं की गई है। इसलिए भी उक्त पट्टा अवैध व शून्य होने से निरस्त होने योग्य है।

2(4)–ग्राम पंचायत पून्दलू व उसके सरपंच ने नियम 258 के अनुसार तीन पंचों को नियुक्त करके कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट व उनकी राय प्राप्त नहीं की और न ही मौके पर कब्जे व निर्माण संबंधी कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की।

अपर कलक्टर, नागौर

2(5)–ग्राम पंचायत पून्दलू ने इस तथ्य पर भी कोई विचार नहीं किया कि, वादग्रस्त जायगा को नीलाम करने के बजाय नियम 266 के अन्तर्गत पट्टा क्यों जारी करना आवश्यक है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत पून्दलू ने नियम 259 से 269 की भी कोई पालना नहीं की। इसलिये उक्त पट्टा ग्राम पंचायत अधिनियम व नियमों के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के बिना जारी किया हुआ होने के कारण अवैध व शून्य है।

2(6)–ग्राम पंचायत पून्दलू के कर्मचारी व उसके सरपंच ने नियम 266 की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में पट्टा जैर निगरानी जारी कर दिया जो अवैध है।

2(7)–नियम 266 के अनुसार वादग्रस्त जायगा पर आवेदनकर्ता का कब्जा व निर्माण होना व उसका उक्त जायगा पर स्वामित्व प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना आवश्यक है। मगर इस प्रकरण में तो वादग्रस्त जायगा पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का न तो कभी कब्जा रहा और न ही कभी मालिकाना हक रहा। इसलिये पट्टा जैर निगरानी अवैध व शून्य है। जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

2(8)–उक्त पट्टा जारी करने के पूर्व वादग्रस्त आवासीय भूखण्ड की कीमत का मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही वादग्रस्त जायगा की कीमत की विधि अनुसार निर्धारित राशि प्राप्त की गई, ग्राम पंचायत पुन्दलू ने बिना किसी आधार राशि प्राप्त की गई ग्राम पंचायत पुन्दलू ने बिना किसी आधार के दो पैसे प्रति वर्ग गज की कीमत निर्धारित कर दी। इसके अलावा विधिनुसार उक्त पट्टे के निष्पादन के पश्चात उसका पंजीयन भी नहीं किया। इस वजह से भी पट्टा अवैध व शून्य है।

2(9)–पट्टे जैर निगरानी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पुन्दलू ने ग्राम पंचायत के समस्त सदस्यों की राय लिये बिना व छिपे तौर से अपने हस्ताक्षर करके जारी कर दिया, जो अनाधिकृत व अवैध कार्यवाही के आधार पर तैयार किया गया कूटरचित दस्तावेज है। जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 व 02 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 के तहत पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्णतः पालना करके जारी किया गया है। उक्त पट्टा 1986 में जारी किया गया है, इतने समय बाद निगरानी पेश की गई है जो प्रथम दृष्टया मियाद बाहर है। उक्त जायगा से संबंधित वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता में लंबित है। अतः उक्त निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत पुन्दलू द्वारा विक्रय विलेख (पट्टा) नम्बर 136/1986–87 दिनांक 10.12.1986, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। वर्तमान ग्राम पंचायत टुंकलिया द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.10.2020 द्वारा बताया कि उक्त पट्टे से संबंधित पट्टा रजिस्टर के अलावा अन्य कोई दस्तावेज ग्राम पंचायात में उपलब्ध नहीं है। रेकर्ड के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत् पट्टा जारी किया हो। क्योंकि पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमो की पूर्णतः पालना की हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत टुंकलिया, पंचायत समिति, मेडता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पुन्दलू द्वारा विक्रय विलेख (पट्टा) नम्बर 136/1986–87 दिनांक 10.12.1986, अप्रार्थी सं. 1 व 02 के पक्ष में जारी जारी किया गया, के संबंध मे उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर